

तारीख

नम्बर व तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 176

दिनांक 07/01/25

अनवान :-

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
गेना वगैरा	बनाम	ईशाराराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 140/2024

दिनांक : 27.01.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र लीलसर के मौजा पंवारिया का तला के खेत खसरा सं. 683/515, 678/515, 680/515, 684/515, 675/515, 674/515, 676/515, 673/512, 679/515, 509, 682/515, 681/515, 677/515 रकबा क्रमशः 15.9284, 02.6466, 07.9642, 16.0903, 03.1242, 16.0903, 01.6511, 01.9425, 04.2411, 02.0720, 16.0903, 03.8850, 08.3446 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है । प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2025/ 177 to 180

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी गेना वगैरा
3. विप्रार्थीगण ईशाराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
07/01/25



(कुसुमेश्वर चौहान)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन